

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर  
क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/पार्ट-1/एफ.08531/जोन-अजमेर/2024/290 दिनांक : 22/04/24

## आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री जुबिन बाहेती, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुवाणा, भीलवाडा जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 08.10.2021 है तथा दिनांक 07.10.2023 को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली है का दिनांक 08.10.2023 से रुपये 20800 (लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

इनके द्वारा आरएससीआईटी कम्प्यूटर योग्यता दिनांक 28.06.2016 व टंकण परीक्षा दिनांक 28.01.2022 को उत्तीर्ण करली गई है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/पार्ट-1/एफ.08531/जोन-अजमेर/2024/290 दिनांक : 22/04/24  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुवाणा, भीलवाडा।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
4. श्री जुबिन बाहेती, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

RajKaj Ref  
6295842

राजस्थान, जयपुर  
Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation : Director  
Date :12-04-2024 12:15:27